

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 29/2022

उनवान

गोपाल पुत्र नाहरा जाति रावत निवासी ग्राम राजौसी तहसील नसीराबाद
— वादी :- जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कमला पुत्री मेवा
2. गीता पुत्री मेवा
3. राजू पुत्र मेवा
4. लक्ष्मी पुत्री मेवा,
5. विमला पुत्री मेवा
6. शान्ति पत्नि मेवा
7. सोहन पुत्र मेवा
8. काली पत्नि मोहन
9. माधू पुत्र वीरम
10. सीता पुत्री वीरम
11. लाली पत्नि वीरम
12. मोहन पुत्र काना
13. सीता पत्नि मादू
14. हांसा पुत्र काना समस्त जातिगण रावत मजरा रूपारेल राजौसी तहसील नसीराबाद
जिला अजमेर,
15. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 1 से 14 अनुपस्थित
15 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 29/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजौसी के हाल खसरा नम्बर 4668/5655 रकबा 0.08 व 4716 रकबा 0.08 की आराजी गोपाल पुत्र नाहरा ने प्रतिवादी संख्या 1 से 14 से जरिये पर्जीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2009 को कय की थी। तत्समय भूमि रहन होने से कंता के नाम दर्ज नहीं की गयी। रहनमुक्त होने के बाद नामान्तकरण के लिये आवेदन करने पर तहसीलदार नसीराबाद द्वारा बताया गया कि हाल खसरा नम्बर 4668/5655 विक्रय पत्र के समय जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण तरीके से 4638/5655 हो गये। तथा नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की गयी। विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में वादी क नाम नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी वादी के कय काशत पर दखलदांजी कर रहे हैं। व भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद, किया जावे।

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

//2//

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।


अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र प्रस्तुत किये। व साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। विक्रय पत्र अनुसार ग्राम राजोसी के खसरा नम्बर 4638/5655 रकबा 0.08 व 4716 रकबा 0.08 की आराजी गोपाल पुत्र नाहरा ने प्रतिवादी संख्या 1 से 14 से जरिये पर्जीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2009 को क्रय की थी। सम्वत् 2059 से 78 की जमाबंदी में उक्त दोनो खसरा नम्बर 4638/5655 रकबा 0.08 व 4716 रकबा 0.08 विक्रेतागण के नाम दर्ज है। हाल जमाबंदी सम्वत् 2072 से 75 में खसरा नम्बर 4638/5655 के स्थान पर 4668/5655 अंकित है। जबकि विक्रय पत्र के समय जमाबंदी में खसरा नम्बर 4638/5655 है। वर्तमान में यह खसरा नम्बर जमाबंदी में अंकित नहीं है। प्रतिवादीगण प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नहीं किया है। पूर्व में जमाबंदी में सहवन से खसरा नम्बर 4668/5655 के स्थान पर 4638/5655 अंकित करने के कारण विक्रय पत्र में भी यही नम्बर अंकित किया गया है। इसमें क्रेता की कोई त्रुटी नहीं है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर सही अंकित किया जा चुका है। विक्रेतागण ने प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान कर दिया है तथा कब्जा व दखल भी वादी को सौंप दिया है। प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। अतः वादी उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम राजोसी प्रथम के हाल खसरा नम्बर 4668/5655 रकबा 0.08 व 4716 रकबा 0.08 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इत्याई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गोपाल बनाम कमल

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 29/2022

पेश करने की दिनांक - 10.02.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम राजोसी प्रथम के हाल खसरा नम्बर 4668/5655 रकबा 0.08 व 4716 रकबा 0.08 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद